

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

(जी-3 राजमहल रेजिडेंसी एरिया सिविल लाईन्स फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम, जयपुर 302015)

क्रमांक:- SPL-1


दिनांक:- 09.04.2020

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:- DAY-NULM के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों से कपड़ों के फेस मास्क बनवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घरों में निर्मित कपड़ों के फेस मास्क/कवर का उपयोग COVID-19 से बचाव में कारगर मानते हुए उपयोग करने हेतु मंजूरी दी है। इसमें सभी आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी नगरीय निकाय में DAY-NULM के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिलाओं से फेस मास्क/कवर तैयार करावें। फेस मास्क/कवर की दर कपड़ों की गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्धारित करें।

उक्त कपड़ों के फेस मास्क/कवर नगर निकाय में कार्यरत अधिकारियों, संविदा कर्मियों तथा सफाई (स्वच्छता) से जुड़ें कर्मियों इत्यादि को COVID-19 से बचाव हेतु वितरित करावें।



(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-SPL-1

दिनांक:-09.04.2020

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
- 2- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- 4- अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- 5- उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
- 6- सुरक्षित पत्रावली।


(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव